पूर्व-बोली बैठक – ई-निविदा सूचना – भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में श्रेडेड करेंसी नोटों के ब्रिकेट्स/श्रेड्स को उठाना और उनका निपटान करना

ई-निविदा सं. - आरबीआई/दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/2/25-26/ईटी/1113[ब्रिकेट का निपटान]

दिनांक 27 मार्च 2026 के हमारे ई-निविदा संख्या आरबीआई/दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/2/25-26/ईटी/1113[ब्रिकेट्स का निपटान] के अनुसार, संभावित बोलीदाताओं के प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए 24 अप्रैल 2026 को सुबह 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में एक पूर्व-बोली बैठक आयोजित की गई थी।

2. पूर्व-बोली बैठक के दौरान उपस्थित नई दिल्ली स्थित आरबीआई के अधिकारियों और संभावित फर्मों/निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	आरबीआई के अधिकारियों के नाम	कार्यालय/विभाग
1.	श्री विक्रम गोयल, महाप्रबंधक	निर्गम विभाग, नई दिल्ली
2.	श्री विकास जायसवाल, उप महाप्रबंधक	निर्गम विभाग, नई दिल्ली
3.	श्री अमित रॉय, उप महाप्रबंधक	निर्गम विभाग, नई दिल्ली
4.	श्री परिमल के चौधरी, सहायक महाप्रबंधक	निर्गम विभाग, नई दिल्ली
5.	सुश्री रशिम कुंडल, प्रबंधक	निर्गम विभाग, नई दिल्ली

क्र.सं.	प्रतिनिधियों के नाम/ संभावित बोलीदाता	फर्म का नाम
1.	श्री नितिन सुल्तानिया	एमएस श्री साई ट्रेडिंग कंपनी
2.	श्री जितेन्द्र कुमार जैन	एमएस जेके एंटरप्राइजेज
3.	श्री आयुष जैन	एमएस जेके एंटरप्राइजेज

निविदाकर्ताओं द्वारा बैठक में निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए और बैंक के प्रत्युत्तर भी नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	उठाए गए प्रश्न	आरबीआई की टिप्पणी
1	ठेकेदार द्वारा उठाए जाने वाले ब्रिकेट की मात्रा और ब्रिकेट का आकार क्या है?	निविदाकर्ता इस संबंध में भाग II (मूल्य निविदा) के मूल्य निविदा संबंधी टिप्पणियों के पैरा 10 का संदर्भ लें, जिसमें कहा गया है कि "कार्य के दायरे को स्पष्ट करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष में मात्रा 1100 से 1300 टन तक भिन्न हो सकती है। ऊपर उल्लिखित गतिविधियाँ/मात्रा/कार्य का दायरा केवल पूर्व अनुभव के आधार पर सांकेतिक हैं और भविष्य के कार्यों में भिन्न हो सकते हैं। उपरोक्त गतिविधियों/मात्रा/कार्यों के दायरे को भुगतान के आधार के रूप में नहीं माना जाएगा। भुगतान केवल वास्तविक रूप से किए गए कार्य के आधार पर ही किया जाएगा।"

		उत्पन्न ब्रिकेट बेलन के आकार आकार के हैं, जिनकी ऊँचाई 5 सेमी और व्यास 9.5 सेमी है।
2	पात्रता मानदंड के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान समान कार्यों को निष्पादित करने में न्यूनतम तीन (3) वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या लंबी अवधि (उदाहरण के लिए, पिछले दस या बीस वर्षों) में कुल तीन वर्ष का संचयी अनुभव भी विचारणीय होगा, यदि निविदाकर्ता पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहा हो?	नहीं, निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज के खंड II के अंतर्गत पैरा 2.1 (बी) के पृष्ठ संख्या 17 का संदर्भ लें, जिसमें कहा गया है कि "बोलीदाता अनुभवी, संसाधन संपन्न, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और लाइसेंस प्राप्त इकाई (कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व फर्म, आदि) होनी चाहिए, जिसके पास निविदा आमंत्रित किए जाने वाले महीने से पहले के महीने के अंतिम दिन तक पिछले तीन वर्षों के दौरान समान कार्यों को निष्पादित करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।”
3	क्या सार्वजनिक खरीद में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई संस्थाओं के लिए न्यूनतम अनुभव, कारोबार आदि पर कोई छूट या रियायतें उपलब्ध हैं?	सभी बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

4	क्या निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के मद्देनजर निविदाकर्ता के बैंक द्वारा मांगे गए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है?	नहीं
5	क्या इससे पहले बैंक द्वारा जारी किया गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट स्वीकार्य होगा?	निविदा दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 20 पर खंड II के अंतर्गत पैरा 2.1ई में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अनुसार, निविदाकर्ता को **निविदा जारी होने की तिथि से पहले जारी न किया गया,** निविदाकर्ता के बैंक द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिए जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रारूप 5 में प्रस्तुत करना होगा।
6	निविदाओं में भाग लेने के लिए ईपीएफ पंजीकरण को अनिवार्य पात्रता मानदंड बनाया जाना चाहिए, जिसमें ठेकेदार के ईपीएफ पंजीकरण संख्या को निविदा दस्तावेज के हिस्से के रूप में स्पष्ट रूप से मांगा जाना चाहिए। यह सांविधिक श्रम दायित्वों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने, ठेकेदार की भागीदारी में पारदर्शिता	निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज के खंड II के अंतर्गत पैरा 2.18 का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि "ठेकेदार के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ अंशदान करने हेतु एक वैध ईपीएफ खाता होना चाहिए।"

	बढ़ाने और सभी आरबीआई कार्यालयों में समान मानकों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।	
7	क्या ठेकेदार द्वारा सप्ताह में दो बार ब्रिकेट को उठाया जा सकता है?	नहीं। निविदाकर्ता को प्रतिदिन ब्रिकेट उठाने होंगे। निविदाकर्ता इस संबंध में निविदा दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 37 पर खंड III के अंतर्गत कार्य का दायरा का संदर्भ ले सकते हैं।

* सभी निविदाकर्ताओं को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने हित में एमएसटीसी पोर्टल पर समय पर अपनी बोलियां जमा करें और अंतिम समय में किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें।

नोट:

- उक्त पूर्व-बोली बैठक का कार्यवृत्त निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा।
- कार्यवृत्त एमएसटीसी पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है।
- निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तें तथा विनिर्देश यथावत रहेंगी।
- उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किया गया है।
- फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना निविदा दस्तावेज और उपरोक्त स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली